10/1/22

वकील प्रार्थी उप. बहस (कुरी गई) पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151-152 CPC पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम नगला तेरहिया तहसील भरतपुर स्थित 133.33 वर्ग गज आ० ख० नं. 269/0-42 हे० में से 133.33 वर्ग गज हिस्सा प्रार्थी हरीसिंह पुत्र ... व ... पत्नि हरीसिंह जाति जाटव निवासी सेदपुरा तह० रूपवास जिला भरतपुर ने बयनामा दिनांक 20.06.2011 से क्रय किया है। जिसके आधार पर जमाबंदी संवत 2068-71 में प्रार्थीगण के इन्द्राज थी ... थे। उक्त हिस्सा प्रार्थीगण ने श्रीमति लच्छो पत्नि रतन जाति जाटव पाडल तहसील व जिला मथुरा (U.P) से हिस्से में से क्रय किया है। निर्णय/डिक्री दिनांक 29.05-2017 से कुटा नं. 14 से ख० नं. 210/2/0.32 हे० में लच्छो पत्नि रतन को 17/18 हिस्सा व राजाराम को 1/18 हिस्सा दिया गया है, जिसमें प्रार्थीगण के नाम अंकित नहीं किये गए हैं। जबकि मुताबिक जमाबंदी संवत 2068-71 के अनुसार लच्छो पत्नि रतन के कुरा के हिस्सा में प्रार्थी 133.33 वर्ग गज की दर से खातेदार दर्ज करते थे। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा निर्णय/डिक्री दिनांक 29.05-2017 में संशोधन की प्रार्थना की गयी ख० नं. 210/2/0.32 जिसका वर्तमान

...रीख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ख.नं. 315/210/0.32 हे. ग्राम नगला तेरहिया में लच्छो पत्नि रतन के हिस्सा 17/18 में प्रार्थीगण को 133.33 वर्ग गज पर खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन जमाबंदी संवत 2068-71 के अनुसार किया है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया/ पत्रावली का अवलोकन किया गया/ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात निर्णय/डिक्री दिनांक 29.05.2017, जमाबंदी संवत 2068-71, बयनामा दिनांक 20.06.2011 व जमाबंदी संवत 2072-75 का अवलोकन किया गया। निर्णय/डिक्री के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 30 व 31 के रूप में पक्षकार है। जमाबंदी संवत 2068-71 में नामान्तकरण सं. 272, निर्णय दिनांक 23.06.2011 बेचान लच्छो के हिस्सा में से हरीसिंह पुत्र फौली, बिरमा पत्नि हरीसिंह हिस्सा बराबर 133.33 वर्ग गज पर 32/47.568 पर 6/125 जाति जाटव ग्रा. सैदपुरा तहसील रूपवास का खातेदार का अंकन स्पष्ट रूप से अंकन है परन्तु निर्णय/डिक्री दिनांक 29.05.17 में प्रार्थीगण के नाम सहवन से अंकित होने से रह गए हैं जो कि लिपिकीय त्रुटि है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुरा नं.14 में लच्छो पत्नि रतन के द्वारा विक्रय किये गए हिस्सा को अलग नहीं किया गया है और आराजी विक्रय करने के बाद भी समस्त आराजी को इस कुरा के माध्यम से लच्छो पत्नि रतन के नाम कर दिया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय/डिक्री दिनांक 29.05.2017 के कुरा नं.14 में वाके ग्राम नगला तेरहिया तह० भरतपुर स्थित ख.नं. 315/210/0.32 हे० में लच्छो पत्नि रतन के हिस्सा 17/18 में प्रार्थीगण हरीसिंह पुत्र फौली, बिरमा पत्नि हरीसिंह जाति जाटव नि० सैदपुरा तह० रूपवास जिला भरतपुर 133.33 वर्ग गज के खातेदार रहेंगे तदनुसार निर्णय व डिक्री में नोट अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर